कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 25.04.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.04.2021

अवैध मादक पदार्थ के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 25.04.2021 को थाना परसपुर के व0उ0नि0 नीरज कुमार सिंह मय टीम के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त तेगबहादुर सिंह के पास से 23.058 ग्राम अवैध चरस व अभियुक्त राजेन्द्र उपाध्याय के पास से 20.8 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना परसपुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. तेगबहादुर सिंह पुत्र चन्द्रमौल सिंह नि0 ग्राम अमोली कला थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।
02. राजेन्द्र उपाध्याय पुत्र प्रहलाद उपाध्याय नि0 ग्राम धारूपुर थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–84/21, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–85/21, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 43.858 ग्राम अवैध चरस।

गिरफ्तार कर्ता–

व0उ0नि0 नीरज कुमार सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.04.2021

चोरी किया गया माल पुलिस ने किया शतप्रतिशत बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों/चोरो की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस ने मु0अ0सं0–309/21, धारा– 457,380 से सम्बन्धित 02 चोर अभियुक्त–01. सुनील पाण्डेय, 02. संजय पाण्डेय को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया शतप्रतिशत समान बरामद किया गया। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. सुनील पाण्डेय पुत्र ऋषिदेव पाण्डेय नि0 पन्तनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. संजय पाण्डेय पुत्र संत प्रसाद पाण्डेय नि0 हारीपुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–309/21, धारा 457,380,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद इन्वर्टर।
02. 01 अदद बैट्री।
03. 01 अदद सिलेण्डर।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 चन्द्रप्रताप सिंह मय टीम।